भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 218

गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जम्मू और कश्मीर में "प्रसाद" योजना के अंतर्गत तीर्थस्थल

218 श्री सत पाल शर्मा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर में कौन-कौन से तीर्थस्थलों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या उन स्थलों पर वहन क्षमता और भीड़ के प्रवाह संबंधी अध्ययन करवाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता और पहुंच संबंधी खामियों को किस प्रकार दूर किया गया;

(ङ) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और तीर्थ स्थान/मंदिर प्राधिकारियों के साथ समन्वय से संचालन में सुधार हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) संघ राज्य क्षेत्र में व्यस्ततम तीर्थयात्रा अवधि के दौरान क्या परिणाम अवलोकित किए गए?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री सत पाल शर्मा द्वारा जम्मू और कश्मीर में "प्रसाद" योजना के अंतर्गत तीर्थस्थल के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 218 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में **विवरण**

(क): पर्यटन मंत्रालय "तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) नामक योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर सहित देश भर में चिह्नित धार्मिक एवं विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में प्रशाद योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 40.46 करोड़ रु. की राशि की 'हजरतबल का विकास' नामक परियोजना को मंजूरी दी थी, जो पूरी हो चुकी है। हालांकि, पिछले वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग): प्रशाद योजना के अंतर्गत संबंधित स्थान की वहन क्षमता और भीड़-प्रवाह संबंधी मापदंड परियोजना के नियोजन के अभिन्न अंग हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीर्थ स्थलों का चयन करते समय तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने हेतु संबंधित स्थल की वहन क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

(घ): सुरक्षा, स्वच्छता और सुगमता संबंधी कमियों को दूर करने के लिए, उक्त परियोजना के अंतर्गत प्रमुख घटकों को मंजूरी दी गई है, जिनमें स्थल विकास (चारदीवारी, भू-निर्माण, तीर्थस्थल परिसर में प्रकाश व्यवस्था), पहुंच मार्ग, जन सुविधा ब्लॉक और प्रवेश द्वार, छाया के लिए टेन्साइल स्ट्रक्चर, डल झील के जीर्णोद्धार के लिए जलवाहक (एरेटर), प्रीफैब्रिकेटिड शॉपिंग कियोस्कों का निर्माण, नसीम बाग से हजरतबल तक झील के किनारे लोहे की रेलिंग, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था, बहुमंजिला पार्किंग आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अपने प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के परामर्श से परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है। उक्त योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। योजना के तहत वित्तपोषण के पैटर्न में यह निर्धारित है कि परियोजना की पांचवीं किस्त, यानी परियोजना लागत का 5%, उसके सफल संचालन और रखरखाव के बाद जारी की जाए। इसके अलावा, निर्मित अवसंरचना को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संबंधित मंदिर/धार्मिक संस्थान को सौंप दिया जाता है।

(छ): प्रशाद योजना के तहत निर्मित महत्वपूर्ण सुविधाएं, जैसे कि स्थल पर पैदल मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और स्थल तक सुगम पहुंच संबंधी व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की आवाजाही को प्रबंधित करने और अधिक संख्या में पर्यटकों के आवागमन के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती हैं।

*****